2006:CGHC:6689-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.के. श्रीवास्तव

मृत्यु दण्डादेश संदर्भ क्रमांक 01/2006

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अधीन सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा प्रस्तुत)

दाण्डिक अपील क्रमांक 626/2006

श्यामलाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(मौखिक निर्णय)

(पारित करने का दिनांक 10 अक्टूबर, 2006)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

(दाण्डिक अपील क्रमांक 626/2006)में अपीलार्थी की ओर से डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित कु. रितु मिश्रा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री जी.डी. वासवानी, अतिरिक्त लोक अभियोजक सहित श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता।

न्यायमूर्ति एल.सी. भादू द्वारा,

अभियुक्त/अपीलार्थी श्यामलाल पर सत्र प्रकरण क्रमांक 38/2006 में विद्वान सत्र न्यायाधीश जगदलपुर द्वारा 22/23 सितंबर, 2005 की मध्य रात्रि में अपने पिता रघु सिंह, माता सपदाई और बहन सुविधा की हत्या कारित करने के आरोप में विचारण चलाया गया था। विचारण की समाप्ति के उपरांत, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रत्येक अपराध हेतु पृथक रुप से सिद्धदोष किया तथा उसे मृत्युदंड जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अधीन मृत्युदंड की पुष्टि हेतु कार्यवाही प्रस्तुत की है और इसे इस न्यायालय में मृत्यु संदर्भ क्रमांक 1/2006 के रूप में पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही, अभियुक्त श्यामलाल ने भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन, अधीक्षक, केंद्रीय कारागार जगदलपुर के माध्यम से, दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की वैधता और सत्यता को प्रश्नगत करते हुए अपील प्रस्तुत की है। इसे दाण्डिक अपील क्रमांक 626/2006 के रूप में पंजीबद्ध किया गया है। अतः, दाण्डिक अपील और मृत्यु संदर्भ, दोनों का निराकरण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

हमने दाण्डिक अपील क्रमांक 626/2006 में अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन. शुक्ला सहित अधिवक्ता कु. रीतू मिश्रा तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक एम. जी. डी. वासवानी सहित श्री अखिल मिश्रा पैनल अधिवक्ता को सुना।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह था कि 22/23 सितंबर, 2005 की मध्य रात्रि को भोजन करने के उपरांत, मृतक रघु सिंह, उनकी पत्नी सपदाई, पुत्री सुविता और अभियुक्त, जो रघु सिंह का पुत्र भी है, एक स्थान पर सो रहे थे, जबकि अ.सा. / 2 सनमति, जो अभियुक्त की पत्नी है, अपने संतानों के साथ उसी घर में दूसरे स्थान सो रही थी। मध्य रात्रि में लगभग 12.00 बजे सनमति ने आवाज सुनी जिसके कारण वह जाग गई, घर का दरवाजा बंद था, उसने एक छेद से झांका जहां उसके ससुराल वाले और अभियुक्त सो रहे थे और देखा कि उसका पति अर्थात वर्तमान अभियुक्त / अपीलार्थी श्यामलाल अपने पिता, माता और बहन पर मूसल से हमला कर रहा था। जब उसने चीख पुकार लगाई, तो अभियुक्त उसके पीछे भागा, किसी तरह वह बचकर भाग गई और बाजू के हीराजन और थडगुराम के घर में पहुंची यह सुनकर वे तुरंत अभियुक्त के घर आए और देखा कि अभियुक्त हाथ में मूसल लिए घर के सामने खड़ा था। (अ.सा./3) हीरंजन ने मूसल छीन लिया। अभियुक्त ने हीरंजन के सामने न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की कि उसने अपने पिता, माता और बहन की हत्या की है और उसके उपरांत अभियुक्त भाग गया। उन्होंने यथाशीघ्र ग्रामीणों को सूचित किया, यहां तक कि गांव के कोटवार अज़न दास और डॉक्टर को भी बुलाया गया और उन्होंने पाया कि रघु सिंह और कु. सुविधा की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, यद्यपि.. सपदई सांस ले रही थी, इसलिए उसका कुछ उपचार किया गया, सुबह उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माकड़ी ले जाया गया जहां उसने अंतिम सांस ली। रघु सिंह, कु. सुविधा और श्रीमती सपदई की मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/35, पी/36 और पी/37) थडगुराम द्वारा पुलिस चौकी माकड़ी को दी गई और बदले में मर्ग सूचना थाना कोंडागांव को दी गई जहाँ श्री ए.के.देवांगन (अ.सा. /11), थाना प्रभारी, थाना: कोंडागांव द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी/34) पंजीबद्ध किया गया जिन्होंने पंचों को नोटिस (प्र. पी/1 और पी/2) देने के उपरांत, रघु सिंह(प्र. पी/4) के शव का और कु. सुविधा (प्र.पी/5) के शव का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया। उन्होंने हीरंजन द्वारा बरामद

कराए जाने पर (प्र.पी/3) द्वारा मूसल को जब्त किया और मूसल के एक कोने पर लोहे का फंदा लगा हुआ था। उन्होंने घटनास्थल,जहां रघु सिंह, सुविधा और सपदाई पर हमला किया गया था, से सादी मिट्टी और रक्तरंजित मिट्टी को भी कब्जे में ले लिया। (प्र.पी./6) द्वारा घटनास्थल से हरे और गुलाबी रंग की एक प्लास्टिक की चटाई, रक्तरंजित दो बिस्तर भी जब्त किए गए। जब्ती पत्रक (प्र.पी./7) द्वारा एक चिमनी को कब्जे में लिया गया। (प्र.पी./8) द्वारा अभियुक्त की रक्तरंजित लुंगी को जब्त किया गया। अभियुक्त की लुंगी जब्त करने के संबंध में पंचनामा (प्र.पी/10) भी तैयार किया गया। रघु सिंह और कु. सुविधा के शवों को शवपरीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनंतपुर (माकड़ी) भेजा गया, जहां डॉ. रवींद्र नेताम (अ.सा./7) ने शवपरीक्षण किया और मृतक रघु सिंह के संबंध में शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी./15) और कु. सुविधा के संबंध में प्रतिवेदन (प्र.पी./16) तैयार की। सपदाई के शव का शवपरीक्षण भी डॉ. रवींद्र नेताम (अ.सा./7) ने किया, जिन्होंने शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी./17) तैयार की। पंचों को नोटिस (प्र.पी./22) देने के उपरांत, सपदाई के शव का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन (प्र.पी./23) तैयार किया गया। घटनास्थल का नजरी नक्शा (प्र.पी./27) तैयार किया गया। मृतक के वस्त्र प्र.पी./30 द्वारा जब्त किए गए । पटवारी बंशीधर देहारी ने भी घटनास्थल का नजरी नक्शा (प्र.पी/32) तैयार किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोंडागांव के न्यायालय में अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सुनवाई हेतु सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर को उपार्पित किया।

अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित करने हेतु सत्रह साक्षियों का परीक्षण कराया। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों को अस्वीकार किया व स्वयं के निर्दोष होने का अभिवाक किया एवं कथन किया कि साक्षी झूठे है और उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जिला विधिक सहायता समिति द्वारा नियुक्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व लोक अभियोजक के तर्कों से सुनने के उपरांत अभियुक्त को प्रत्येक हत्या के लिए सिद्धदोष किया और उसे मृत्युदंड जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने रघु सिंह, सपदाई और कु. सुविधा की हत्या के तथ्य पर विवाद नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अ.सा./2 सन्मति, अभियुक्त की पत्नी, जो घटना रात में उसी घर में अपने संतानों के साथ सो रही थी, ने कथन किया है कि मध्यरात्रि में लगभग 12.00 बजे उसने

आवाज सुनी और जाग गई, उसने देखा कि अभियुक्त अपने पिता, माता और बहन पर मूसल से हमला कर रहा था। जब उसने चीख पुकार मचाई, तो अभियुक्त उसके पीछे भागा, किसी तरह वह बच गई और हीरंजन और थडगुराम के घर पहुंची और उन्हें घटना की जानकारी दी, जिस पर वे घटनास्थल पर आए। हीरंजन ने अपराध में प्रयुक्त हथियार, मूसल, अभियुक्त से छीन लिया, जिसके सामने अभियुक्त ने अतिरिक्त न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की, तत्पश्चात, अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया।

डॉ. रविन्द्र नेतन (अ.सा./7) ने कथन किया है कि दिनांक 23/09/2005 को जब वे सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनंतपुर (माड़की) में कार्यरत थे, तब थाना प्रभारी श्री ए.के. देवांगन (अ.सा./1) थाना कोंडागांव के अनुरोध पर उन्होंने रघु सिंह का शवपरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि खोपड़ी की हड्डी टूटी हुई और दबी हुई थी, मस्तिष्क पर रक्त मौजूद था, जो खोपड़ी से बाहर दिखाई दे रहा था, दाहिनी टेम्पोरल मैक्सिला मैंडिबल हड्डियां टूटी हुई थीं, ललाट की हड्डी भी टूटी हुई थी और सिर से काफी रक्तस्त्राव हो रहा था, रक्त का थक्का भी मौजूद था, चार पसलियां भी टूटी हुई थीं। सिर खोलने पर उन्होंने पाया कि मस्तिष्क दबा हुआ था, फेफड़े रक्त से भरे थे, श्वासनली में रक्त था, लीवर पर चोट थी और मृत्यु का कारण सिर की चोट और रक्तस्राव था उन्होंने आगे कहा है कि उसी दिन उन्होंने कु. सुविधा के शव का शवपरीक्षण किया और पाया कि पश्चकपाल और फ्रंटाई हड्डियों में 5 x 7 सेमी आकार की चोट थी, चोट से बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा था, नाक और कानों से रक्तस्त्राव हो रहा था, पश्चकपाल और खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थीं, जबड़े की हड्डी भी दोनों कोणों से टूटी हुई थी, सिर खोलने पर, सबड्यूरल हेमाटोमा पश्चकपाल हड्डी टूटी हुई थी। उनकी राय में, मृत्यु का कारण सिर की चोट और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। आगे उन्होंने कथन किया कि दिनांक 24/09/2005 को उन्होंने सपदाई के शव का शवपरीक्षण किया और पाया कि पश्चकपाल क्षेत्र में घाव हो गया था, मुंह और कान से रक्तस्त्राव हो रहा था, जबड़े की हड्डी टूटी हुई थी, खोपड़ी दबी हुई थी, मस्तिष्क में चोट थी, उनकी राय में, मृत्यु का कारण खोपड़ी, पार्श्विका क्षेत्र और जबड़े में लगी चोटें थीं और मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी। इसलिए, उपरोक्त चिकित्सीय और नेत्र संबंधी साक्ष्यों के आधार पर, यह स्थापित होता है कि रघु सिंह, सुविधा और सपदाई की मृत्यु मानववध प्रकृति की थीं।

जहां तक अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता का प्रश्न है, अ.सा./2 सन्मति, जो महत्वपूर्ण साक्षी है, अभियुक्त की पत्नी और मृतक रघु सिंह और सपदाई की पुत्रवधू है, ने कथन किया है कि उस घटना वाली रात को भोजन करने के उपरांत मृतक और अभियुक्त एक ही स्थान पर सो रहे थे, जबकि वह अपने संतानों के साथ उसी घर में किसी अन्य स्थान पर सो रही थी। मध्य रात्रि में लगभग 12.00 बजे शोर सुनकर वह जाग गई और उसने देखा कि अभियुक्त/अपीलार्थी मृतक व्यक्तियों पर

मूसल से हमला कर रहा था और यह देखकर उसने चीख लगाई जिस पर अभियुक्त/अपीलार्थी दरवाजा खोलकर उसके पीछे भागा, यद्यपि, वह बच गई और हीरंजन और थडगुराम के घर गई और उन्हें घटना के बारे में बताया जिस पर वे घटनास्थल पर आए और अभियुक्त/अपीलार्थी को रक्तरंजित मूसल पकड़े हुए देखा। अ.सा./3 हीरंजन के साक्ष्य के अनुसार, उसने अभियुक्त से मूसल छीन लिया था और अभियुक्त ने उसके सामने अतिरिक्त न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की कि उसने अपने पिता, माता और बहन की हत्या कर दी है और उसके बाद अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया। इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य की पुष्टि अ.सा./1 थडगुराम के साक्ष्य से भी हुई है जिसने कथन किया है कि अ.सा./2 सन्मति उसके घर आई उन्होंने यह भी देखा कि रघु सिंह और सुविधा की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि सपदाई की साँसें चल रही थीं। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया और सुबह उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसने अंतिम साँस ली। थडगुराम और हीराजन सगे भाई हैं, जो अभियुक्त/अपीलार्थी के चचेरे भाई हैं। इन तीनों साक्षियों से प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष ऐसी कोई भी परिस्थिति उजागर नहीं कर पाया जिससे इन साक्षियों के साक्ष्य अविश्वसनीय या झूठा लगें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अ.सा./2 सन्मति अभियुक्त की पत्नी है और उसने घटना का विवरण दिया है तथा उसके समक्ष अपने पति को झूठे मामले में फंसाने का कोई कारण नहीं था। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने अपने चचेरे भाई हीरंजन के समक्ष न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति भी की। यहां तक कि मूसल, अपराध में प्रयुक्त हथियार जिससे अभियुक्त ने मृतकों पर हमला किया था, उसे हीरंजन ने छीन लिया और उसे उसने प्र.पी./3 के तहत जब्ती पत्रक द्वारा पुलिस को सौंप दिया और जब्ती पत्रक के अनुसार मूसल के एक कोने पर लोहे का एक घेरा था, अतः अ.सा./2 सन्मति, अ.सा./3 हीरंजन तथा अ.सा./1 थडगुराम के साक्ष्य विश्वसनीय हैं और इससे न्यायालय का विश्वास प्रेरित होता है, अ.सा./2 सन्मति ने अपराध होते देखा था जबकि थडगुराम और हीरंजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे जहां उन्होंने अभियुक्त को अपने हाथ में मूसल, अपराध का हथियार पकड़े हुए देखा। इसलिए, इस सीमा तक, हमें विचारण न्यायालय के उस निर्णय, जिसमें अभियुक्त को रघु सिंह, सुविधा और सपदाई की हत्या कारित करने हेतु धारा 302 के अधीन सिद्धदोष किया गया है में कोई अवैधता या दोष प्रतीत नहीं होता है।

अब अभियुक्त/अपीलार्थी पर अधिरोपित मृत्युदंड जैसे कठोरतम दण्ड के प्रश्न पर आते हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय के पृष्ठ 30 में व्यक्त किया है कि अभिलेख में प्रस्तुत सभी तथ्यों, परिस्थितियों और सामग्री तथा अभियुक्त द्वारा अपने पिता, माता और बहन पर मूसल से किए गए क्रूर हमले के तरीके पर विचार करने के उपरांत, अभियुक्त का कृत्य विरल से विरलतम प्रकरणों की श्रेणी में आता है। अभियुक्त के कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने अपने ही पिता, माता और बहन की

हत्या अत्यंत क्रूरतापूर्वक की है, अतः अभियुक्त का कृत्य मृत्युदंड जैसे कठोरतम दण्ड से दण्डित किए जाने योग्य है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन.के. शुक्ला का तर्क है कि अभियुक्त का कृत्य विरल से विरलतम प्रकरण की श्रेणी में नहीं आता। अपराध के पीछे कोई हेतुक नहीं था और अभिलेखों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी शराब पीने का आदी था और वह काम नहीं कर रहा था। उसके माता–पिता और उसकी पत्नी उसे डाँटते थे और उसे शराब पीने से मना करते थे, जिससे कुंठाग्रस्त होकर अभियुक्त ने जघन्य अपराध किया। अभियुक्त आदतन अपराधी नहीं है और उसने लाभ के लिए अपराध नहीं किया है, अतः यह उचित होगा कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाए।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया एवं तर्क किया कि जिस प्रकार से अभियुक्त/अपीलार्थी ने बिना किसी कारण या तर्क के जघन्य अपराध किया है, इसलिए, और जिस क्रूरता के साथ अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, उसे दृष्टिगत रखते हुए उसे उचित रुप से कठोरतम दण्ड से दण्डित किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरांत, अभिलेख तथा इस बिन्दु पर सुसंगत न्याय दृष्टांत का परिशीलन किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) में विहित है कि " *जब दोषसिद्धि, मृत्यु से अथवा अनुकल्पत: आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में, दिए गए दंडादेश के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का, कथन होगा।"* इस धारा की व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई प्रकरणों में समय–समय की गई है और सामान्य नियम जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है वह यह है कि "आजीवन कारावास" नियम है और "मृत्युदंड" एक अपवाद है अर्थात मृत्युदंड केवल असाधारण प्रकरणों में ही दिया जा सकता है। इस बिंदु पर ऐतिहासिक निर्णय बचन सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य है, (1980) 2 एससीसी 684 में प्रकाशित प्रकरण में पारित किया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान के समस्त पहलुओं और संवैधानिक विधिमान्यता पर विचार करने के उपरांत यह प्रतिपादित किया कि" *(i) अति दोषसिद्धि के गंभीर प्रकरणों को छोड़कर, मृत्युदंड जैसे कठोरतम दण्ड से दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। (ii) मृत्युदंड के विकल्प का चयन करने से पूर्व अपराध की परिस्थितियों के साथ–साथ 'अपराधी' की परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। (iii) नियम में आजीवन कारावास और मृत्युदंड एक अपवाद है। मृत्युदंड केवल तभी*

दिया जाना चाहिए जब अपराध की सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आजीवन कारावास पूर्णतया अपर्याप्त दण्ड प्रतीत हो। (iv) उत्तेजक और शमनकारी परिस्थितियों का एक संतुलन तैयार किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय शमनकारी परिस्थितियों को पूर्ण महत्व दिया जाना चाहिए तथा विकल्प का प्रयोग करने से पूर्व उत्तेजक और शमनकारी परिस्थितियों के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। इस निर्णय पर **मच्छी सिंह व अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य** (1983) 3 एससीसी 470 में प्रकाशित प्रकरण में पुनः विचार किया गया, जिसमें विरल से विरलतम प्रकरण के सिद्धांत को पुनः दोहराया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृत्युदंड केवल उस स्थिति में दिया जा सकता है, जहां हत्या एक पारिवारिक झगड़े में प्रतिशोध के रूप में निर्ममतापूर्वक ,सोच समझकर की गई और कई वीभत्स हत्याएं थीं और जिसमें समाज की सामूहिक अंतरात्मा को इतना धक्का लगा हो, कि वह न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों को मृत्युदंड देने की अनुमति देगा, चाहे उनकी व्यक्तिगत राय वांछनीय हो या नहीं, मृत्युदंड को बनाए रखने के संबंध में, मृत्युदंड तब दिया जा सकता है जब हत्या अत्यंत क्रूर, कुरुप, शैतानी, विद्रोही या नृशंस तरीके से की गई हो ताकि समाज का तीव्र और चरम आक्रोश उत्पन्न हो, जब हत्या एक ऐसे हेतुक के लिए की गई हो जो सम्पूर्ण दूराचार और नीचता को दर्शाता हो जैसे धन या प्रतिफल के लिए भाड़े के हत्यारे द्वारा हत्या, या किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए सोच समझ कर की गई हत्या, जिसके संबंध में हत्यारा प्रभावशाली स्थिति में हो या विश्वास की स्थिति में हो या मातृभूमि के साथ विश्वासघात करते हुए हत्या की जाती है: जब अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक समुदाय आदि के सदस्य की हत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियों में की जाती है जो दुल्हन को जलाने या दहेज हत्या के प्रकरणों में सामाजिक रोष उत्पन्न करती हैं या जब जिसकी हत्या की जाती है वह एक निर्दोष बालक या एक असहाय स्त्री या वृद्ध या अशक्त व्यक्ति होता है।

पुनः अलाउद्दीन मियां व अन्य बनाम बिहार राज्य (1989) 3 एससीसी 5 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) पर विचार किया और पूर्ववर्ती निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को दोहराया और अभिनिर्धारित किया कि मृत्युदंड से दण्डित करने का कारण बताना अनिवार्य है। धारा 354 की उपधारा (3) न्यायालय पर वृहत दायित्व अधिरोपित करती है कि यह स्पष्ट करे कि ऐसा दण्ड क्यों पारित किया जा रहा है। उस उपधारा में विशेष कारणों का खंड मनमाने ढंग से कठोरतम दण्ड अधिरोपित करने के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है और यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपराधी समाज के लिए खतरा है और आजीवन कारावास का दण्ड पूर्णतः अपर्याप्त होगा,न्यायालय ने कमतर दण्ड दिया है तो केवल उन अपवादात्मक प्रकरणों में, जिनमें अपराध इतना क्रूर,पैशाचिक और वीभत्स हो कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दे, मृत्युदंड से दण्डित करना स्वीकार्य होगा।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राज्य द्वारा पुलिस अधीक्षक, सीबीआई/एसआईटी बनाम नलिनी व अन्य,** 1999 (5) एससीसी 253 में प्रकाशित प्रकरण में तथा **ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य,** 1999 (3) एससीसी 19 में प्रकाशित प्रकरण में इस पहलू पर पुनः विचार किया। उस प्रकरण में एक अर्धसैनिक बल के सदस्य, जिसने परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी थी, को इस कारण से कठोरतम दण्ड से दण्डित नहीं दिया गया था कि वह इस तनाव में था कि मृतक के परिवार द्वारा किए जा रहे अन्याय के कारण वह और उसके परिवार के सदस्य पीड़ित थे। उस प्रकरण में इसे परिस्थितियों को गंभीरता कम करने वाला कारक माना गया। पंजाब राज्य बनाम गुरमेज सिंह (पूर्वोक्त) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृत्युदंड से दण्डित करने से पूर्व न्यायालय को अपराध का हेतुक, हमले का तरीका, समग्र रूप से समाज पर अपराध का प्रभाव, अभियुक्त का व्यक्तित्व, प्रकरण की परिस्थितियां एवं तथ्य, जैसे कि क्या किया गया अपराध किसी प्रकार की वासना, लोभ को संतुष्ट करने के लिए है या संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी या इसी प्रकार के किसी संगठित असामाजिक क्रियाकलापों के अनुपालन में है या समाज को इसी प्रकार के आपराधिक कृत्य से पीड़ित करने की संभावना है, अर्थात भविष्य में अभियुक्त के हाथों समाज के सदस्यों की असुरक्षा या हत्या का कृत्य जो अंतरात्मा को झकझोर देने वाला हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

देवेंद्र पाल सिंह बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य 2002 एससीसी (सीआरआइ) 978 में प्रकाशित (एआईआर 2002 एससी 1601) प्रकरण में स्थिति को पुनः दोहराया गया है, निम्नानुसार है;

> "कण्डिका 58. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य और मच्छी बनाम पंजाब राज्य में, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब समाज की सामूहिक अंतरात्मा को इतना आघात पहुँचता है कि वह न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों से अपेक्षा करता है कि वे मृत्युदंड से दण्डित करने के लिए तैयार रहें, यद्यपि मृत्युदंड को यथावत रखने के विषय में उनका वैयक्तिक अभिमत कुछ भी हो, तो मृत्युदंड से दण्डित किया जा सकता है, यह अवधारित किया:
>
> समाज निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी कल्पना कर सकता है
>
> (1) जब हत्या अत्यंत क्रूर, पैशाचिक और वीभत्स या नृशंस तरीके से की गई हो, जिससे समाज में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश उत्पन्न हो;

2) जब हत्या ऐसे प्रयोजन से की गई हो जो संपूर्ण दुराचार और नीचता को दर्शाता हो, जैसे– धन या प्रतिफल के लिए भाड़े के हत्यारे द्वारा हत्या; या किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए निर्मम हत्या जिस पर हत्यारा प्रभुत्वशाली या विश्वासपात्र स्थिति में हो; या मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने के लिए हत्या की गई हो।

(3) जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय आदि के किसी सदस्य की हत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियों में की गई हो जो सामाजिक रोष उत्पन्न करती हैं; या 'दुल्हन को जला देने' या 'दहेज हत्या' के प्रकरण में या जब दहेज वसूलने के लिए पुनर्विवाह करने या मोह के कारण दूसरी स्त्री से विवाह करने के लिए हत्या कारित की गई हो।

(4) जब अपराध का अनुपातिक रुप बहुत बुरा हो। उदाहरण के लिए, जब एक ही परिवार के समस्त या लगभग सभी सदस्यों या किसी विशेष जाति, समुदाय या क्षेत्र के बहुत से लोगों की कई हत्याएँ की गई हो।

(5) जब हत्या का शिकार कोई निर्दोष बालक, या असहाय महिला या वृद्ध या अशक्त व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति हो जिस पर हत्यारा हावी हो, या कोई सार्वजनिक व्यक्ति हो जिसे आम तौर पर समुदाय द्वारा प्यार और सम्मान दिया जाता हो।

यदि उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में समस्त परिस्थितियों का समग्र वैश्विक दृष्टिकोण लेने पर और विरल से विरलतम प्रकरणों के जांच के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को विचार में रखते हुए, मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मृत्युदंड से दण्डित किया जाना आवश्यक है, तो न्यायालय ऐसी कार्यवाही करेगा।

उपरोक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत यह है कि जब यह प्रश्न निर्णय के लिए आता है कि क्या मृत्युदंड से दण्डित किया जाए या नहीं, तो गंभीर और सहज परिस्थितियों के मध्य संतुलन बनाना होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का सार यह है कि मृत्युदंड केवल विरल से विरलतम प्रकरणों में और विशेषतः प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए असामान्य प्रकरणों जहाँ प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आजीवन कारावास से दण्डित करना अपर्याप्त हो, में ही दिया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को तीन हत्याएँ कारित करने के लिए मृत्युदंड जैसे कठोरतम दण्ड से दण्डित करते हुए अवधारित किया कि अभियुक्त ने अपने पिता, माता और बहन की हत्या क्रूर तरीके से की है, इसलिए वह मृत्युदंड से दण्डित किये जाने का हकदार है।

पुनरावृत्ति हेतु, यह उल्लेख किया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) में यह प्रावधान है कि मृत्युदंड से दण्डित करने की स्थिति में, ऐसे दण्डादेश के लिए विशेष कारणों का कथन होगा।

यदि हम प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों तथा उस पृष्ठभूमि पर विचार करें जिसमें अभियुक्त ने अपने परिवार के तीन सदस्यों की हत्याएँ कीं, तो अभियोजन का यह कथन उचित नहीं है कि अभियुक्त आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है या लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है या उसने लाभ के लिए हत्याएँ की हैं। यह स्थापित नहीं हो पाया है कि हत्याओं के पीछे अभियुक्त का हेतुक क्या था। प्रकरण के अभिलेख के अनुसार, वास्तव में अभियुक्त शराब पीने का आदी था और अत्यंत गरीब परिवार से था। जब परिवार के सदस्यों के लिए अभियुक्त की गतिविधियों को सहन करना संभव नहीं होता था, तो उसके माता–पिता और परिवार के अन्य सदस्य उसे डाँटते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कुंठाग्रस्त होकर अभियुक्त ने यह अपराध किया। अतः हमारा सुविचारित अभिमत है कि प्रकरण के तथ्य विरल से विरलतम प्रकरण की विशेष श्रेणी में नहीं आते और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) की विधिमान्य आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं होतीं। निःसंदेह, अभियुक्त का कृत्य क्रूर था, हत्या की हर घटना में क्रूरता अन्तर्वलित है। अभियुक्त पर अधिरोपित कठोरतम दण्डादेश के प्रकरण पर विचार करते समय, क्रूरता अभियुक्त पर कठोरतम दण्ड अधिरोपित करने के घटकों में से एक है, परंतु यह कठोरतम दण्ड अधिरोपित करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। अन्य घटकों, जैसे अभियुक्त की क्रूरता, यानी कृत्य के साथ–साथ गंभीर एवं सहज परिस्थितियों को भी विचार में रखना होगा। विधायिका ने अपराधियों के विरुद्ध समाज की न्याय की गुहार का उत्तर देने के लिए आपराधिक कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए उचित दण्ड अधिरोपित करने हेतु मृत्युदंड का प्रावधान शामिल किया है। दण्ड सदैव न केवल अपराधी को दण्डित करने के लिए अधिरोपित किया जाता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी अधिरोपित किया जाता है कि अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के अनुरूप उचित दण्ड मिले ताकि समग्र समाज यह अनुभव करे कि अपराधी के आचरण को देखते हुए उसे कठोरतम दण्ड से दण्डित करना अनिवार्य था। निस्संदेह, दण्ड पर विचार करते समय न्यायालय को कृत्य के साथ–साथ अपराध के शिकार और समग्र समाज के अधिकारों पर भी विचार करना आवश्यक है। स्पष्टतः, अपराध की प्रकृति को विचार में रखते हुए अपर्याप्त दण्डादेश समाज के न्याय के उद्देश्य की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पूर्ति नहीं करेगा। न्यायालय को यह जांचना होगा कि क्या हत्या ऐसे प्रयोजन से की गई हो जो संपूर्ण दुराचार और नीचता को दर्शाता हो, जैसे– धन या प्रतिफल के लिए भाड़े के हत्यारे द्वारा हत्या; या किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए निर्मम हत्या जिस पर हत्यारा प्रभुत्वशाली या विश्वासपात्र स्थिति में हो या जब न्यायालय प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के आपराधिक पूर्ववृत्त एवं घृणित क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए वह समाज के लिए खतरा है।

अतः हमारा यह विचार है कि प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों और तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थी का कृत्य विरल से विरलतम प्रकरणों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए अभियुक्त/अपीलार्थी पर अधिरोपित मृत्युदंड जैसे कठोरतम दण्डादेश को यथावत नहीं रखा जा सकता।

फलस्वरूप, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से सफल होती है, तथा रघु सिंह, सपदाई और सुविधा की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को यथावत रखते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थी पर अधिरोपित मृत्युदंड के कठोरतम दण्डादेश को अपास्त किया जाता है, तथा इसके स्थान पर अभियुक्त/अपीलार्थी को आजीवन कारावास से दण्डित किया जाता है। मृत्युदंड की पुष्टि हेतु विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत संदर्भ को अस्वीकार किया जाता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(एल.सी. भादू)
न्यायाधीश

सही/–
(वी.के.श्रीवास्तव)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Gangadhar Rajput

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur